BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 130 OF 2025

(I.A. No. 224/2025)

IN THE MATTER OF

VARUN GULATI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particular	Page No.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 UTTAR PRADESH GROUND WATER DEPARTMENT, (SAMBHAL)	2-7
2.	**ANNEXURE 1** Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019	8
3.	**ANNEXURE 2** Copy of the Notification No. 1320/62-1-2019-10 GW-2014, dated 13.11.2019.	9
4.	**ANNEXURE 3** Copy of the notification no. 58/76-3-2020/10 GW/2014, dated 21.01.2020	10-12
5.	**ANNEXURE 4** Copy of the letter dated 12.06.2025	13-14
6.	**ANNEXURE 5** A Copy of the Notice dated 26.06.2025	15-19

7.	**ANNEXURE 6** Copy of the District Magistrate Letter Dated 17.07.2025	20-21
8.	**ANNEXURE 7** A copy of the document detailing about inspection and water sample collection.	22-25

Respondent No.-3
(Assistant Engineer,
Minor Irrigation Departmnet, Sambhal)

Through

Gigi C. George Advocate
Standing Counsel (UOI)
Ch. No. 457, Lawyers Block,
DHC, New Delhi
Gigicgeorge.adv42@yahoo.in
M-9810625315

DT.02-08-2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 130 OF 2025

(I.A. No. 224/2025)

IN THE MATTER OF

VARUN GULATI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 UPGWD (SAMBHAL) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.04.2025

I, Sh. Jitendra Kumar Shukla S/o Sh. Akshaibar Shukla, aged about 58 years working as Assistant Engineer, Minor Irrigation Department, Sambhal, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That deponent is well conversant with the facts and circumstances of the case and duly authorized to swear and affirm this affidavit on behalf of the Respondent No. 3 i.e. U.P. State Ground Water Department, Sambhal
2. That Instant I.A. 224 of 2025 in Original Application no. 130/2025 titled Varun Gulati Vs State of Uttar Pradesh & Ors. Hon'ble Tribunal passed the order dated 02.04.2025 with following observation: -

"2. *Learned Counsel for the applicant has submitted that in addition to these respondents i.e. respondent nos. 4 to 8 there are as many as 30 dyeing units operating in the area, photographs of which along with*

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA
NOTARIAL

Assistant Engineer
Minor Irrigation District
Sambhal

geocoordinates are collectively enclosed as annexure A-1, page 33 onwards.

3. Learned Counsel for the applicant has also submitted that complaint was made to the concerned authorities and inspection was done twice when the units were found closed but at the instance of the DM when the inspection was done for the third time it was found that 09 units were operating without requisite clearances and were engaged in washing and dyeing work. On the inspection, it was found that they were 2 discharging untreated effluent directly in the drain and were not having the requisite permission under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. In this regard, she has referred to the documents collectively filed as annexure A-6 (page 65). She has also submitted that though action under Section 33 A of the Water Act, 1974 was proposed against them but till now action has not been finalized.

NOTARY PUBLIC
PRADEEP KUMAR
Advocate/Notary
Distt. Moradabad
Regd. No. 10907
Exp. Dt. 03/02/30
GOVT. OF INDIA

4. OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

5. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. List on 05.08.2025."

Assistant Engineer
Minor Irrigation District
Sambhal

3. That the Hon'ble Tribunal vide its order dated 02.04.2025 issued Notice to the answering Respondent and directed to file response/reply by way of affidavit and listed the matter for 05.08.2025.

4. That it is respectfully submitted that in order to protect, manage and control the ground water resources in the state, Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 has been implemented since 02.10.2019. Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019 is annexed herewith as **Annexure-1**

5. That in exercise of the powers enumerated in Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, Uttar Pradesh Ground water Management and Regulatory Authority has been established by Minor Irrigation and Ground Water section – 1 vide its Notification no. 1320/62-1-2019-10 GW-2014 dated 13.11.2019. Copy of the Notification dated 13.11.2019 is annexed herewith as **Annexure-2.**

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA PRADEEP KUMAR Advocate/Notary Distt. Moradabad Regd. No. 10907 Exp. Dt. 03/02/30

6. That in exercise of the power construed in Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, the District Ground Water Management Council for each District of the state under the chairmanship of the District Magistrate in accordance with the provisions is constituted by the Namami Gange and Rural water Supply Section-3 vide its Notification No. 58/76-3-2020/10 GW/2014 Dated 21.01.2020. Copy of the notification dated 21.01.2020 is annexed herewith as **Annexure-3**

7. That for the effective and transparent implementation of works like registration, issuance/renewal of no objection certificate etc. for agricultural and domestic consumers, commercial industrial, infrastructural and collective ground water users as enumerated in the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act 2019 the web portal has been developed **(upgwdonline.in)** and the District-wise

Assistant Engineer
Minor Irrigation District
Sambhal

nodal officers have been nominated at the district level in all the 75 districts of Uttar Pradesh for the operation of the website.

8. That In compliance with the order dated 02.04.2025 issued by Hon'ble Tribunal, the Director of the Ground Water Department, Uttar Pradesh, through Letter No. 261/भू0जं0वि0/एस–26 (एन0जी0टी0) dated 12.06.2025, has nominated the Assistant Engineer, Minor Irrigation Department, District Sambhal, to represent the department regarding firms (R-04 -R-08 who are engaged in washing and dyeing work) operating in Sambhal district. The officer has been assigned to investigate and prepare the departmental compliance report on behalf of Respondent No.-3 and to submit the required reply/affidavit. A copy of the letter dated 12.06.2025 is annexed as **Annexure 4.**

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA PRADEEP KUMAR Advocate/Notary Distt. Moradabad Regd. No. 10907 Exp. Dt. 03/02/30

9. That in Pursuant to Letter No. 261/भू0जं0वि0/एस–26 (एन0जी0टी0) dated 12.06.2025 issued by the Director of the Ground Water Department, Uttar Pradesh, and in compliance with the order in I.A. 224 of 2025 in OA No. 130/2025, a notice was sent to the above said firms (R-04 -R-08 who are engaged in washing and dyeing work) in Sambhal district on 26.06.2025 to provide information regarding groundwater exploitation and NOC. A Copy of the Notice dated 26.06.2025 is annexed herewith as **Annexure 5**

10. That to investigate in the above matter, an inquiry committee has been constituted by the District Magistrate vide its letter No. 487/आ0लि0-अ0जि0स0 dated 17.07.2025 for investigation of the units involved in dyeing work in Sambhal District. A Copy of the letter dated 17.07.2025 is annexed herewith as **Annexure 6.**

11. That it is respectfully submitted that after receiving no response to notice sent to the respondent no. 04 – 08, was again verified on dated 21.07.2025 and 30.07.2025, in which the said units were found locked.

Assistant Engineer
Minor Irrigation District
Sambhal

Thereafter, water samples from the 05 handpumps from the areas of the concerned units were collected and sent to Jal Nigam Moradabad for chemical testing. A copy of the document detailing about inspection and water sample collection is annexed herewith as **Annexure 7.**

12. That the present Reply by way of affidavit may kindly be taken on record and into consideration, and the Hon'ble Tribunal may pass appropriate order(s), direction(s) as deemed fit and proper under the facts and circumstances of the present case.

13. That the Answering Respondent seeks leave to make additional submissions, if required, during the course of the proceedings as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA
PRADEEP KUMAR
Advocate/Notary
Distt. Moradabad
Regd. No. 10907
Exp. Dt. 03/02/30

Assistant Engineer
Minor Irrigation District
Sambhal

DEPONENT

Verification

Verified at Sambhal Uttar pradesh on 02 August 2025 that the contents of the above reply affidavit are derived from the official records and personal knowledge and are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed therefrom.

Assistant Engineer
Minor Irrigation District
Sambhal

DEPONENT

Solemnly Affirmed Before me by Sri/Smt./Km. Jitendra Kumar Shukla
Deponent who is identified by Sri/Smt./Km. J.S. Gupta Adv.
Clerk of Sri/Smt/Km........................ Advocate
on Dated 02/08/25 I have Satisfied my self after examining the deponent that he/she under stood the contents of the affidavit and the same has been read over and explained by me Received Rs.................. as Fees

J.S. Gupta 02/8/25
Jitendra Swaroop Gupta (Adv.)
Reg.No.UP05979/11, COP.No.170542
D.J. Code-J-77/12, Ch.No.B-9, Bagiya
Moradabad, Mobile No:- 94121-43153

PRADEEP KUMAR
Advocate/Notary
Regd. No. 10907
Exp. Dt. 03/02/30
Distt. Moradabad
02/8/25

संख्या–153

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अगस्त, 2019
श्रावण 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1468/79-वि-1–19-1(क)-14-19
लखनऊ, 7 अगस्त, 2019

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019 जिससे लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य के विशेष रूप से संकट ग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में दोनों परिमाणात्मक एवं गुणात्मक भू-गर्भ जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू–गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि भू-गर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू–गर्भ जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के स्रोतों में कमी आ गयी है;

और चूंकि भू-गर्भ जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरुदण्ड है;

ANNEXURE-2

क्रम-संख्या–216(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019
कार्तिक 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1

संख्या 1320/62-1-2019-10 जीडब्लू-2014
लखनऊ, 13 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

प०आ०–344

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से राज्य में एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसे 'उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण' के रूप में जाना जायेगा।

आज्ञा से,
अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1320/LXII-1–2019-10gw-2014, dated November 13, 2019 :

No. 1320/LXII-1–2019-10gw-2014
Dated Lcknow, November 13, 2019

In exercise of the powers under section 7 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to establish an authority in the State to be known as the 'Uttar Pradesh State Ground Water Management and Regulatory Authority' with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,
ANITA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 379 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(998)–599 प्रतियां–(क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० लघु सिंचाई–2019–(999)–1,000 प्रतियां–(क०/टी०/ऑफसेट)।

379 RPH Sinchai Anubhag-1, 2019 Data 4c

ANNEXURE–3 10

क्रम-संख्या –19

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020

माघ 1, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3

संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014

लखनऊ, 21 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०–19

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण को उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 58/76-3-2020/10gw/2014, Lucknow dated January 21, 2020 :

No. 58/76-3-2020/10gw/2014

Dated Lucknow, January 21, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the State Ground Water Management and Regulatory Authority to constitute the District Ground Water Management Council for each district of the State consisting of the Chairperson and members in accordance with the provisions of the said section.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–575–राजपत्र (हि०)–(1399)–2020–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–4 सा० भूगर्भ जल–(1400)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण,

(अधिसूचना संख्या 1320/62-1-2019-10 जी0डब्लू0/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के द्वारा गठित)

संख्या /यूपीराभूजप्रविप्रा

लखनऊः दिनांक : 05 जून, 2020

-: कार्यालय ज्ञाप :-

अधिसूचना संख्या 58/76-3-2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 06 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में एतद्द्वारा "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य में भूगर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले एक विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
3.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक व्यक्ति।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (यथास्थिति)।	सदस्य
10.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग।	सदस्य
12.	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
13.	प्रभागीय वनाधिकारी।	सदस्य
14.	जिला उद्यान अधिकारी।	सदस्य
15.	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य/सचिव

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त नगर पालिका, भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति तथा खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति से एक-एक सदस्य परिषद् के आमंत्रित सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाएंगे। "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" के कम संख्या 02, एवम् 03 पर नामित सदस्यों की सेवा एवम् शर्तें, इत्यादि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 के अध्याय-2 के अनुसार होगी।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष

पत्रांकः 01 /यूपीरामूजप्रविप्रा/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

पत्रांकः ________/यूपीरामूजप्रविप्रा/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद के सक्षम अधिकारी को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन नामित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

ANNEXURE- 4

JPGWD-ESTBONGT/2/2025-ESTB-UPGWD

I/182558/202

Phone : (Office) 0522-2287068
(Office) 0522-2287239
Fax : (Office) 0522-2286471
E-mail : upgwd.in@gmail.com
Website : http://upgwd.gov.in

<u>कोर्ट केस/एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण।</u>
<u>ई–मेल के माध्यम से</u>

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

संख्या–261 /भू०ज०वि०/एस–26(एन०जी०टी०) दिनांक/लखनऊ/जून 12 2025

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचारधीन ओ0ए0 संख्या– 130/2025 Varun Gulati Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में योजित IA No- 224/2025 के सम्बन्ध में।

<u>नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद–संभल।</u>

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–130/2025 Varun Gulati Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में योजित IA No- 224/2025 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। अवगत कराना है कि सम्बन्धित वाद में जनपद संभल के कतिपय फर्म (प्रतिवादी संख्या 04 से 08) जोकि डाइंग के कार्य में संलिप्त है तथा अत्यधिक प्रदूषित (पर्यावरणीय मानकों के अनुसार लाल श्रेणी में वर्गीकृत) क्षेत्र में स्थापित है। वाद में फर्मो द्वारा पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने, सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त न किये जानें के संबंध में शिकायत की गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा सम्बन्धित शिकायत का संज्ञान लेते हुए दिनांक 02.04.2025 को सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किये गये है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"…… 2. Learned Counsel for the applicant has submitted that in addition to these respondents i.e., respondent nos. 4 to 8 there are as many as 30 dyeing units operating in the area, photographs of which along with geo-coordinates are collectively enclosed as annexure A-1, page 33 onwards.

3. *Learned Counsel for the applicant has also submitted that complaint was made to the concerned authorities and inspection was done twice when the units were found closed but at the instance of the DM when the inspection was done for the third time it was found that 09 units were operating without requisite clearances and were engaged in washing and dyeing work. On the inspection, it was found that they were discharging untreated effluent directly in the drain and were not having the requisite permission under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. In this regard, she has referred to the documents collectively filed as annexure A-6 (page 65). She has also submitted that though action under Section 33 A of the Water Act, 1974 was proposed against them but till now action has not been finalized.*
4. *OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.*
5. *Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.*
6. ***List on 05.08.2025."***

उक्त के कम में अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित अपने आदेश में, वर्णित शिकायतों के कम में वाद में अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, उ0प्र0 लखनऊ को विपक्षी पार्टी संख्या–03 के रुप में रखते हुए विभागीय मंतव्य/पैरावाईस नैरेटिव/शपथ पत्र तैयार करते हुए, मा0 अधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतएव उपरोक्त के कम में आपको विषयांकित वाद में विपक्षी पार्टी संख्या–3/अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से विभागीय प्रतिनिधि नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद संभल में सम्बन्धित वाद के सापेक्ष विभागीय प्रस्तरों की जॉच कर, वाद में की गयी शिकायतों के संदर्भ में प्रस्तरवार विभागीय मंतव्य/पैरावाईस नैरेटिव/शपथ पत्र तैयार करते हुए, मा0 अधिकरण के सम्मुख ससमय उपस्थित होकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस

कार्यालय को भी अवगत करायें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का अनुपालन किया जा सके।

ज्ञातव्य हों कि उक्त वाद में अगामी सुनवाई दिनांक 05.08.2025 को नियत की गयी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by ANUPAM
Date: 12-06-2025 18:30:37

(अनुपम)
अधिशासी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।

संख्या– (I)/भू0ज0वि0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0/सदस्य सचिव, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद–संभल।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड मुरादाबाद को इस आशय के साथ कि आप नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ परिषद्, जनपद संभल से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 अधिकरण की अपेक्षानुसार प्रकरण पर विभागीय प्रतिशपथ दाखिल कराये जाने हेतु यथावश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

(अनुपम)
अधिशासी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।

ANNEXURE - 5 15

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
लघु सिचाई विभाग सम्भल ।

सेवा में,

Mr. SHAKEEL
Mohalla - Hayatnagar
Tehsil & District - Sambhal
Uttar Pradesh

पत्रांकः 31 / जि०भू०ज०प्र०परि०सम्भल / ल०सि०–स० / दिनांक / सम्भल / 26 / 06 / 2025

विशयः— भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना डाईगं कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसार संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा भूगर्भ जल दोहन हेतु बिना अनुमति प्राप्त किये डाईगं कार्य संचालित किया जा रहा है, जो कि उ०प्र० भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो का उल्लधंन है।

अतएव आपके द्वारा संचालित डाईगं कार्य में भूजल दोहन किये जाने हेतु उ०प्र० भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है, परन्तु आप द्वारा नियम विरूद्ध अपने डाईगं कार्य में बिना अनुमति प्राप्त किये बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराये की आप द्वारा पूर्व में यदि केन्द्रीय भूगिगत जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है अथवा नही, अपना स्पष्टीकरण सात 03 के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा आपके विरूद्ध उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 39 एवं 40 के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

26-06-2025
%
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

पत्रांकः / जि०भू०ज०प्र०परि०सम्भल / ल०सि०–स० / तादिनांक।
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद सम्भल।
2— मुख्य विकास अधिकारी महोदया जनपद सम्भल।

26-06-2025
%
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग सम्भल ।

सेवा में,

MOHD RIZWAN ANSARI
Mohalla-Hayat Nagar
Tehsil & Distt-Sambhal
Uttar Pradesh

पत्रांकः 32 /जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल/ल0सि0-स0/ दिनांक/सम्भल/26/06/2025

विशयः- भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना डाईगं कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसार संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा भूगर्भ जल दोहन हेतु बिना अनुमति प्राप्त किये डाईगं कार्य संचालित किया जा रहा है, जो कि उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम-2019 के नियम एवं शर्तो का उल्लधंन है।

अतएव आपके द्वारा संचालित डाईगं कार्य में भूजल दोहन किये जाने हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम-2019 के नियम एवं शर्तो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है, परन्तु आप द्वारा नियम विरूद्ध अपने डाईगं कार्य में बिना अनुमति प्राप्त किये बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत करायें की आप द्वारा पूर्व में यदि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है अथवा नही, अपना स्पष्टीकरण सात 03 के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरूद्ध उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 की धारा 39 एवं 40 के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

पत्रांकः /जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल/ल0सि0-स0/तादिनांक।
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद सम्भल।
2- मुख्य विकास अधिकारी महोदया जनपद सम्भल।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग सम्भल ।

सेवा में,

MR SHAKEL AHMAD
Mohalla Sarai Tareen
Thana– Hayatnagar
Tehsil & Distt– Sambhal
U.P.

पत्रांकः 33 /जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल/ल0सि0–स0/ दिनांक/सम्भल/26/06/2025

विशयः– भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना डाईगं कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसार संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा भूगर्भ जल दोहन हेतु बिना अनुमति प्राप्त किये डाईगं कार्य संचालित किया जा रहा है, जो कि उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो का उल्लधंन है।

अतएव आपके द्वारा संचालित डाईगं कार्य में भूजल दोहन किये जाने हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है, परन्तु आप द्वारा नियम विरूद्ध अपने डाईगं कार्य में बिना अनुमति प्राप्त किये बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराये की आप द्वारा पूर्व में यदि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है अथवा नही, अपना स्पष्टीकरण सात 03 के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा आपके विरूद्ध उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 39 एवं 40 के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

पत्रांकः /जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल/ल0सि0–स0/तादिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद सम्भल।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदया जनपद सम्भल।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
लघु सिचाई विभाग सम्भल ।

सेवा में,

HAJI SHAH ALAM
Mohalla Katra
Thana-Hayatnagar
Tehsil & Dist- Sambhal
U.P.

पत्रांकः 36/जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल/ल0सि0–स0/ दिनांक/सम्भल/26/06/2025

विषयः– भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना डाईगं कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसार संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा भूगर्भ जल दोहन हेतु बिना अनुमति प्राप्त किये डाईगं कार्य संचालित किया जा रहा है, जो कि उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो का उल्लघंन है।

अतएव आपके द्वारा संचालित डाईगं कार्य में भूजल दोहन किये जाने हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है, परन्तु आप द्वारा नियम विरूद्ध अपने डाईगं कार्य में बिना अनुमति प्राप्त किये बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराये की आप द्वारा पूर्व में यदि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है अथवा नही, अपना स्पष्टीकरण सात 03 के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा आपके विरूद्ध उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 39 एवं 40 के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

पत्रांकः /जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल/ल0सि0–स0/तादिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद सम्भल।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदया जनपद सम्भल।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

कार्यालय
सहायक अभियन्ता
लघु सिचाई विभाग सम्भल ।

सेवा में,
Mohd Imran
Village - Ajeetpur Rokapur
Thana - Hayat Nagar
Tahsil & Distt - Sambhal
U.P.

पत्रांकः 37 / जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल / ल0सि0–स0 / दिनांक / सम्भल / 26 / 06 / 2025

विशयः– भूगर्भ जल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना डाइंगं कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विपयक अनुसार संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा भूगर्भ जल दोहन हेतु बिना अनुमति प्राप्त किये डाईगं कार्य संचालित किया जा रहा है, जो कि उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो का उल्लधंन है।

अतएव आपके द्वारा संचालित डाईगं कार्य में भूजल दोहन किये जाने हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल अधिनियम–2019 के नियम एवं शर्तो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है, परन्तु आप द्वारा नियम विरूद्ध अपने डाईगं कार्य में बिना अनुमति प्राप्त किये बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराये की आप द्वारा पूर्व में यदि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है अथवा नही, अपना स्पष्टीकरण सात 03 के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा आपके विरूद्ध उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम–2019 की धारा 39 एवं 40 के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

पत्रांकः / जि0भू0ज0प्र0परि0सम्भल / ल0सि0–स0 / तादिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।
1– जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद सम्भल।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदया जनपद सम्भल।

26-06-2025
(जितेन्द्र कुमार शुक्ल)
नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद
सम्भल।

कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल (बहजोई)।

संख्याः- 487 /आ.लि.-अ.जि.स. दिनांकः-17 जुलाई, 2025

आदेश

नगर मजिस्ट्रेट-सम्भल द्वारा अपनी आख्या संख्या-181/रीडर/2025, दिनांक-03.07.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि *'कतिपय माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई कि नगर सम्भल में सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल के पास चन्दौसी रोड, सम्भल एवं मो. नाला, सम्भल एवं इससे आगे हयातनगर रोड पर काफी बड़ी संख्या में जींस के कारखाने अवैध रूप संचालित हैं तथा इनसे प्रदूषण फैल रहा है। तत्क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निम्नलिखित जींस के कारखानों का निरीक्षण किया गया-*

1- *श्री सांलिम पुत्र शब्बीर निवासी फतेहउल्ला सराय द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित चन्दौसी रोड, सम्भल। अक्षांतर 28.581938 देशांतर 78.584487*
2- *श्री विजय ठाकुर पुत्र श्री सर्वेश ठाकुर निवासी संतनगर, दिल्ली द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575417 देशांतर 78.570340*
3- *श्री मुख्त्यार पुत्र बन्ने निवासी वैलकम, दिल्ली द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575663 देशांतर 78.570599*
4- *श्री छविराम यादव पुत्र कन्हई निवासी हुसैनपुर भूड़, सम्भल द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575573 देशांतर 78.570578*
5- *श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह निवासी मौंठ तहसील झांसी द्वारा संचालित जींस की वांशिग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575568 देशांतर 78.571232*
6- *श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम निवासी ताखेपुरवा, कन्नौज एवं श्री फखरे आलम निवासी गौमतपुर, सम्भल द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575265 देशांतर 78.570748*
7- *श्री राजेन्द्र पुत्र झीनन प्रसाद यादव निवासी जनपद बलरामपुर उ.प्र. एवं बब्लू कासिम निवासी सम्भल द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाता स्थित मो. चैधरी सराय से हयातनगर को जाने वाले ग्रामीण मार्ग माहिस्मति नदी के किनारे, सम्भल। अक्षांतर 28.567779 देशांतर 78.575188*
8- *श्री संतोष पुत्र गंगा साहब निवासी कटिहार, बिहार एवं मो. कामिल निवासी छोटा हसनपुर द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. चैधरी सराय से हयातनगर को जाने वाले ग्रामीण मार्ग माहिस्मति नदी के किनारे, सम्भल। अक्षांतर 28.557041 देशांतर 78.581153*

उपर्युक्त समस्त कारखानों पर निरीक्षण के समय कारखानों के संचालन सम्बन्धी कोई भी अभिलेख, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। इन कारखानों में मौके पर घरेलू सिलेण्डर प्रयोग में लाये जा रहे थे, जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्ल्घंन है। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर कारखाने आवासीय क्षेत्रों में पाये गये, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इन कारखानों में हानिकारक कैमिकल बड़ी संख्या में प्रयोग में लाया जा रहा है, जिससे इन कारखानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं आस-पास निवासित व्यक्तियों के जीवन पर कैमिकल से दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इन कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों को पिद्युत से संचालित किया जाता है, जिससे विद्युत चोरी की प्रबल सम्भावना है। इन सभी कारखानों द्वारा कारखाने का कैमिकल के दूषित पानी को सीधे महिष्मति नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे महिष्मति नदी वर्तमान में प्रदूषित हो रही है तथा अनकों कारखानों द्वारा कैमिकल से दूषित पानी को सीधे नालियों के माध्यम से भूमि में जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इन कारखानों का विरोध करते हुए अवगत कराया गया कि इस प्रकार के लगभग 50-100 कारखाने नगर सम्भल के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित है, जिनके संचालन से स्थानीय लोगों के जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त निरीक्षण में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी कारखाने एवं स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्रकार के 50-100 जींस की वाशिंग के कारखाने नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनसे महिष्मति नदी एवं नाले कैमिकल द्वारा प्रदूषित किये जा रहे हैं। साथ ही इन कारखानों के अवैध संचालन से राज्य सरकार को भी राजस्व क्षति हो रही है। इस कारण इन कारखानों को सम्बन्धित विभाग (जी.एस.टी., प्रदूषण नियंत्रण विभाग, विद्युत विभाग, भूगर्भ जल विभाग आदि) की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराने के उपरांत इन कारखानों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा'।

अस्तु नगर मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त आख्या के क्रम में उपर्युक्तानुसार नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित कारखानों की जांच हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

1- नगर मजिस्ट्रेट, सम्भलः-	अध्यक्ष
2- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधिः-	सदस्य
3- उपायुक्त (राज्य कर), खण्ड-1, सम्भलः-	सदस्य
4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भलः-	सदस्य
5- श्री जितेन्द्र शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, सम्भलः-	सदस्य
6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्भलः-	सदस्य

उक्त जांच समिति उपर्युक्तानुसार नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित कारखानों की उपर्युक्त आख्या में उल्लिखित समस्त तथ्यों के अनुसार जांच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
जिलाधिकारी,
सम्भल।

संख्या एवं तिथिः- यथोक्त।

प्रतिलिपिः-

1- उपर्युक्त नामित समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार जांच हेतु किसी प्रतिनिधि को नामित करते हुए, उनको अपने स्तर से जांच कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा अधोहस्ताक्षरी एवं समिति में नामित समस्त अधिकारीगण को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
सम्भल।

30-Jul-2025 4:29:08 pm
28.55929375N 78.56324641E
Sambhal
Moradabad Division
Uttar Pradesh

30-Jul-2025 3:23:09 pm
28.55216146N 78.58093091E
Hayatnagar Road
Sambhal
Moradabad Division
Uttar Pradesh

121

30-Jul-2025 4:47:08 pm
28.55352034N 78.5588305E
Saraitarin Road
Sarai Tarin
Moradabad Division
Uttar Pradesh

Beltech
30-Jul-2025 4:18:09 pm
28.56395769N 78.56380635E
Sambhal
Moradabad Division
Uttar Pradesh

HBM
GOLD
Shot on OnePlus

30-Jul-2025 4:29:03 pm
28.55929563N 78.56325072E
Sambhal
Moradabad Division
Uttar Pradesh

123